भारत के राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड ३- उप-खण्ड (ii)
PART II - Section 3 - Sub - section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1336]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22,2005/ पौष 1, 1927 NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 2005/PAUSA 1, 1927

No. 1336]

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्सपालन विभाग) **अधिसूचना**

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2005

का.आ. 1803(अ).-तटीय जलकृषि अधिनियम, 2005(2005 कां 24) की धारा 4 की उप-धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार सरकारी राजपत्र में यह अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ तटीय जलकृषि प्राधिकरण नामक एक प्राधिकरण गठित करती है और उक्त प्राधिकरण के अध्यक्ष और सद्स्वों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करती है, नामत::-

(क) न्यायमूर्ति ए.के. राजन, — अध्यक्ष (मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश), नं. 5 (एस 79), गली नं. 16, अन्नानगर, चेन्नई– 600040

धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (ख) के अंतर्गत नियुक्त सद्स्य :

(ख) डॉ. पी. रवीचंद्रन, — सदस्य निदेशक , केंद्रीय खाराजल जलकृषि संस्थान, चेन्नई, तटीय जलकृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञ

धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (ग) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य :

 (ग) डॉ. के.वी. शर्मा, — सदस्य वैज्ञानिक – घ, समुद्री विकास विभाग, ब्लॉक – 11, सीजीओ काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 तटीय परिस्थिति विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञ

धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (घ) के अंतर्गत नियुक्त सद्स्य :

(घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली — सदस्य के प्रतिनिधि, (पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा नामित किया जाना है)

धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (ङ) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य:

(ङ) श्री अजय भट्टाचार्य, — सदस्य संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी), कृषी मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रतिनिधि, कृषी मंत्रालय द्वारा नामित

धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (च) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य :

(च) श्री जी. मोहन कुमार, — सदस्य अध्यक्ष, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची – वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नामित

धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (छ) के अंतर्गत तटीय राज्यों के प्रतिनिधि :

- (छ) (i) श्री विश्वनाथ शेगांवकर, — सदस्य तमिलनाडु सरकार के सचिव, पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग, चेन्नई- 600009
- (ii) श्री पी. के. सेन, — सदस्य मात्स्यिकी निदेशक. पश्चिम बंगाल सरकार. 63. एन.एस. रोड.जेसोप बिलिंडग. कोलकाता - 700001
- (iii) श्री डी. राधा कृष्णा रेड्डी, — सदस्य अध्यक्ष. आंध्र प्रदेश राज्य झींगा किसान. कल्याण परिसंघ. 16-111-488. रामामर्ति नगर, नैल्लोर -524003 (आंध्र प्रदेश)
- (iv) श्री अजीत सिन्हा पाटिल, — सदस्य (पंचम एक्वाकल्चर फार्म, जेलासर. तालुका, पलघर, जिला थाणे), 103 बी, मित्तल टावर्स, नरीमन प्वाइंट, मंबई - 400021

धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (ज) के अंतर्गत नियुक्त सद्स्य:

(ज) डॉ. वाई. एस. यादव, — सदस्य- सचिव निदेशक. बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम- अंतर्शासकीय. संगठन (बीओबीपी- आईजीओ), 91- सेंट मेरी रोड,

अभिरामपुरम, चेन्नई - 600018

फा.सं.एल. 33036/3/2005 - मा. (टी-2) अजय भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, 22nd December, 2005

S.O.1803 (E). -- In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (3) of Section 4 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby establishes an authority to be called the Coastal Aquaculture Authority for the purpose of the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette and appoints the following persons to be the Chairperson and Members of the said Authority, namely:-

(a) Justice Shri A.K. Rajan — Chairperson (Retired Judge of the Madras High Court), No.5 (S-79), 16th Street, Anna Nagar, Chennai-600040.

Member appointed under clause (b) of Sub-section (3) of Section 4:

(b) Dr. P. Ravichandran. — Member Director Central Institute of Brackshwater Aquaculture, Chennai Expert in the field of coastal aquaculture.

Member appointed under clause (c) of Sub-section (3) of Section 4:

(c) Dr. K.V. Sharma, Scientist - D, Department of Ocean Development, Block-11, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003

— Member

Expert in the field of coastal ecology.

Member referred to in clause (d) of Sub-Section(3) of Section 4: (d) Representative of the Ministry — Member

New Delhi.

(to be nominated by the Ministry of Environment and Forests).

of Environment and Forests.

Member referred to in clause (e) of Sub-section (3) of Section 4:

(e) Shri Ajay Bhattachartya, — Member
Joint Secretary (Fisheries) —
Representative of the Ministry
of Agriculture, New Delhi,
Nominated by the Ministry

Member referred to in clause (f) of Sub-section (3) of Section 4:

of Agriculture.

(f) Shri G. Mohan Kumar, — Member Chairman,
Marine Products Export
Development Authority,
Kochi-- Representative of the
Ministry of Commerce.
Nominated by the
Ministry of Commerce.

Representatives of Coastal States appointed under clause (g) of Sub-section (3) of Section 4:

(g) (i) Shri Vishwanath
 Shegaonkar, — Member
 Secretary to Government of
 Tamil Nadu, Animal Husbandry and
 Fisheries Department,
 Chennai-600009.

- (ii) Shri P.K. Sen, Member
 Director of Fisheries,
 Government of West Bengal,
 63, N.S. Road, Jessop Building,
 Kolkata-700001.
- (iii) Shri D. Radha Krishna Reddy Member President,
 Andhra Pradesh State
 Prawn Farmers' Welfare Association,
 16-111-488, Ramamurthy Nagar,
 Nellore-524003 (Andhra Pradesh)
- (iv) Shri Ajit Sinha Patil, Member
 (Pancham Aquaculture Farms,
 Jelasar, Taluka Palghar,
 District-Thane) 103 B, Mittal Towers,
 Nairman Point, Mumbai-400021.

Member referred to in clause (h) of Sub-section (3) of Section 4:

(h) Dr. Y. S. Yadava, — Member-Director, Secretary
 Bay of Bengal Programme - Inter Governmental Organisation, (BOBP-IGO), 91-St. Mary's Road, Abiramapuram, Chennai-600018.

[F. No. L.33036/3/2005-FY(T-2)] AJAY BHATTACHARYA, Jt. Secy.